संख्या-41/2026/2134/58-1-2026/54-2002(001)/3/2026(2061604)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 02-07-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0108-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के0-60%/रा0-40%-के0+रा0) के मानक मद-42 अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-775/बा0वि0परि0/लेखा/2026-27, दिनांक 12 जून, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के0-60%/रा०-40%-के०+रा0) के मानक मद 42- अन्य व्यय में कुल रू0 3266.68036 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ छाछठ लाख अढ़सठ हजार छत्तीस मात्र) (केन्द्रांश रू0 1960.00822 लाख +राज्यांश रू0 1306.67214 लाख) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं

रखा जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय-समय पर भारत सरकार/ राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।
4. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
7. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
8. उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

10. योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।
11. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
13. नवीन कार्यों हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के पूर्व योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 32,66,68,036.00 (रूपये बतीस करोड़ छाछठ लाख अढसठ हजार छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2235027890108 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित संख्या-आर0ई0संख्या-आर.ई.संख्या-बजट-1-34 दिनाँक 30.06.2026 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : बी0एम0-9 (भाग-1) ।

Digitally signed by
PREM PRAKASH SINGH
Date: 02-07-2026
13:57:23

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2134/58-1-2026/54-2002(001)/3/2026(2061604), तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त(लेखा) अनुभाग-1
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 02-07-2026
16:19:08

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A054-2026-2027-54-2002-001-2-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के0-60%/रा0-40%-के.+रा.) के मानक मद 42 अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2235027890101 (पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार(के.50/ रा.50-के.)	42 (अन्य व्यय)	10,78,25,93,000 रुपये दस अरब अठहत्तर करोड़ पच्चीस लाख तिरानवे हजार मात्र	10,78,25,93,000 रुपये दस अरब अठहत्तर करोड़ पच्चीस लाख तिरानवे हजार मात्र	32,66,68,036 रुपये बत्तीस करोड़ छियासठ लाख अड़सठ हजार छत्तीस मात्र 32,66,68000		0455 325000	2026-2027

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2235027890108 (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के0-60%/रा0-40%-के.+रा.)	42 (अन्य व्यय)	0 शून्य	32,66,68,036 रुपये बत्तीस करोड़ छियासठ लाख अड़सठ हजार छत्तीस मात्र	326668000	326668000	2026-2027

(रु० बत्तीस हजार करोड़ छियासठ लाख अड़सठ हजार मात्र)

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

योजनान्तर्गत प्रथम त्रैमास में केन्द्रांश अवमुक्त न होने के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

GoI के पत्र संख्या पी0एम0-15/1/2025-पी0एम0एम0वी0वाई0, दिनांक 22.02.2026 द्वारा केन्द्राश अवमुक्त होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< >-2026-27, दिनांक- जून, 2026 आर0ई0 संख्या - बजट-1-34 दिनांक 30.6.2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

Digitally signed by ARUN KUMAR
Date: 30-06-2026 10:15:09

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

(अरुण कुमार)
अनु सचिव

संख्या : 1947/58-1-2026(2061604) दिनांक- जून, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
9. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव